"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 30, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 30, 1933)

क्रमांक-14515/वि.स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 26 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 4 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर, किसी भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत :—

अनुसूचित जाति	12 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

यद्यपि, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की बाहुल्यता है फिर भी राज्य के सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है. चूंकि जनजाति की जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत तक पहुंच गया है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4), अनुच्छेद 335 एवं राज्य सूची दो की प्रविष्टि क्रमांक 41 के अंतर्गत राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने संबंधी प्रावधान करने में सक्षम है अत: राज्य के लोक सेवाओं में आदिवासियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, वर्तमान छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में आदिमजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 17 दिसम्बर, 2011

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

पदों के आरक्षण के लिये प्रतिशतता का नियत किया जाना.

धारा-4 (1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया जाए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित पद ऐसे सदस्यों से नहीं भरे जाएंगे जो यथास्थिति ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गों के नहीं है.

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हए, लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर निम्नानुसार आरक्षण रखा जाएगा :—

(एक) राज्य स्तर पर किसी भरती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशत—

(क) प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के पदों में—

अनुसूचित जाति	15 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	18 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत

(ख) तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पदों में—

अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.